



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 623]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 2, 2017/फाल्गुन 11, 1938

No. 623]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 2, 2017/PHALGUNA 11, 1938

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2017

विषय :- दिनांक 23.02.2017 की अधिसूचना सं. 40/2015-2020 में भूल-सुधार।

का.आ. 694(अ).—दिनांक 23.02.2017 की अधिसूचना सं. 40/2015-2020 के हिन्दी पाठ में विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के संशोधित पैरा 4.34 (i) की छठी लाइन, दूसरी पंक्ति में 'की स्थिति में और जहां रत्न' को 'की स्थिति में और/अथवा जहां रत्न' के रूप में पढ़ा जाए।

[फा. सं. 01/94/180/12/एएम17/पीसी-4]

अजय कुमार भल्ला, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 2nd March, 2017

Subject :- Corrigendum to Notification No. 40/2015-2020 dated 23.02.2017.

S.O. 694(E).—In the English version of Notification No. 40/2015-2020 dated 23.02.2017, the words 'availed and Gems' in the sixth line, second sentence of amended Paragraph 4.34(i) of Foreign Trade Policy 2015-20 shall be read as 'availed and/ or Gems'.

[F. No. 01/94/180/12/AM17/PC-4]

AJAY KUMAR BHALLA, Director General of Foreign Trade

1187 GI/2017